फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

जगदीश बनाम उपखण्ड अधिकारी जयपुर शहर दक्षिण

केस संख्या : 20 /2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

| दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा का विस्तृत रूप | विशेष विवरण |
|---|---|---|
| 02.02.2024 | दरख्वास्तगुजार ने उपखण्ड अधिकारी जयपुर शहर दक्षिण, जिला जयपुर के समक्ष विचाराधीन वाद सख्या 85/2021 एवं टी आई सख्या 82/2021 ब–उनवानी सतीश बनाम जगदीश में पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है। उपखण्ड अधिकारी जयपुर शहर दक्षिण, जिला जयपुर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब हो। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। नोटिस विपक्षीगण के रजिस्टर्ड जारी हो। पत्रावली दिनांक 27.02.2024 को पेश हो।<br>जिला कलक्टर<br>जयपुर | |
| 2 | पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी के वकील उप० है। वकील प्रार्थी ने अवगत कराया है कि उप खण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण (सहायक कलक्टर) का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है।<br>उप खण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण (सहायक कलक्टर) के पीठासीन अधिकारी ज्योति मुक्ता राव R.A.S. का अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने से उनके विरुद्ध प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वतः ही प्रभाव शून्य (INFRUCTUOUS) हो गया। फल स्वरूप प्रार्थी का मुन्तकिल प्रा०पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम हो।<br>जिला कलक्टर<br>जयपुर | |